

16.08.2022:- आज यह पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी मलकीत कौर
जरिये अधिवक्ता श्री मनजिन्द्र सिंह लेगा उपस्थित
आये। प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीया
अपने प्रार्थना-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
प्रार्थीया अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीया
अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर किये गये। अतः
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़



Web Copy - Not Official